(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/राजगढ/भूरा/2017/4938 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–11–2017 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 77/अपील/2016–17

नीलोफर बी पुत्री स्व0जलील खॉ पत्नी अखलाक खॉ
कृषक ग्राम चतरूखेडी वर्तमान निवासी उज्जैन म0प्र0

.....आवेदिका

विरूद्ध

हकीम खॉ आ0 जमीर खॉ
निवासी ग्राम चतरूखेडी तहसील सांरगपुर
जिला राजगढ म0प्र0

.....अनावेदक

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक
श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि

मौजा चतरूखेडी तहसील सांरगपुर जिला राजगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 351/2 रकबा 4.259 हेक्टेयर अनावेदक तथा उसके भाई श्री जलील खॉ के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। जलील खॉ की मृत्यु उपरांत जलील खॉ द्वारा अनावेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम दर्ज किया जावे । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर विधिवत् कार्यवाही करते हुये दिनांक 20–9–06 को आदेश पारित करते हुये अनावेदक का नाम दर्ज किया गया । विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–2–2017 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–9–06 निरस्त किया जाकर आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–11–2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि अनावेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष आवेदक को पक्षकार बनाते हुये प्रकरण प्रस्तुत किया गया था इसलिये आवेदक को नियमानुसार सूचना पत्र तामील किया जाना आवश्यक था परन्तु सूचना पत्र तामील नहीं करवाये जाने से अपर आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही अवैधानिक है ।

(2) आवेदक द्वारा अनावेदक के नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने एवं प्रश्नाधीन भूमि का नामान्तरण उसके नाम किये जाने का अनुरोध किया गया था । परन्तु अनावेदक को यह आशंका थी कि आवेदक स्व0जलील खा की पुत्री है तथा वह प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नामान्तरण की कार्यवाही कर सकती है इसलिये अनावेदक द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष

प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन में उल्लैखित किया गया है कि नीलोफर जलील खॉ की पुत्री नहीं है, परन्तु आयुक्त न्यायलय द्वारा अनावेदक के नामान्तरण आवेदन पत्र में उल्लिखित उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज करते हुये विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) आवेदक द्वारा तहसील के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने एवं स्वयं के नाम फौती नामानतरण किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस ध्यान नहीं देकर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अनावेदक द्वारा कथित वसीयतनामें के निष्पादन से पूर्व इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया है कि प्रश्नाधीन भूमि जमीर खॉ के स्वर्गवास के फौती नामान्तरण के आधार पर दोनों भाईयों को प्राप्त हुई थी इसलिये आवेदक के पिता को भूमि के संबंध में वसीयतनामा निष्पादित करने की अधिकारिता ही नहीं थी ।

(5) आवेदक स्व0जलील खॉ की एकमात्र वैधानिक उत्तराधिकारी है इस तथ्य की जानकारी अनावेदक को भी थी इसलिये अनावेदक द्वारा जलील खा के स्वर्गवास के उपरांत वसीयतनामा निष्पादित करते हुये तहसील न्यायालय के समक्ष स्व0जलील को प्रकरण में पक्षकार बनाते हुये नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया और तहसील न्यायालय द्वारा मृतक पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित करते हुये प्रश्नाधीन भूमि का नामान्तरण अनावेदक के पक्ष में किया गया था जबकि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है ।

(6) अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बटवारे संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे , परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत बटवारे संबंधी दस्तावेजों पर विचार किये बिना ही एकपक्षीय आधार पर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(7) अंत में उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि निगरानी स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदक द्वारा बनवाया गया वारिसान प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया क्योंकि जलील खॉ का अनावेदक ही एकमात्र वारिस है । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका स्वयं को मृतक जलील खॉ की पुत्री होना सन्देह से परे प्रमाणित नहीं कर पाई है क्योंकि विचारण न्यायालय के प्रकरण में संलग्न पटवारी रिपोर्ट में भी जलील खॉ के कोई संतान नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है और जलील खॉ द्वारा वसीयत में भी उसके कोई संतान नहीं होने का उल्लेख किया गया है । आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उसके पिता का नाम जलील खॉ होना अंकित है, किन्तु उसके द्वारा साक्ष्य ये यह प्रमाणित नहीं किया गया है। वैसे भी अनावेदक के पक्ष में मृतक जलील खॉ की वसीयत है, जिसे उसने गवाहों से प्रमाणित भी किया है । मृतक जलील खॉ को वसीयत का अधिकार नहीं था, ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य आवेदिका की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर किया गया नामान्तरण नियमानुसार है इसलिये आयुक्त न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि करने में वैधानिक एवं न्यायसंगत कार्यवाही की गई है। अतः आयुक्त का आदेश विधिवत् होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर